न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 02/2024

अनवान : –

1. मनफुल राम पुत्र गिरधारी जाति सुनार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः –06/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 75/72 की कुल 15.5650 हैक्ट भूमि में से 7/152 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 74/73 की कुल 5.8170 हैक्ट भूमि में से 400/5817 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम मनफुल पुत्र गिरधारी दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मनफुल राम पुत्र गिरधारी राम है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तोवेजात में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम मनफुल पुत्र गिरधारी के स्थान पर मनफुल राम पुत्र गिरधारी राम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज नाम दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 11:38:04 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई, ... प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम मनफुल पुत्र गिरधारी दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मनफुल राम पुत्र गिरधारी राम है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तोवेजात में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होने से प्रार्थी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी मुताबिक दस्तावेजात अपना नाम मनफुल पुत्र गिरधारी के स्थान पर मनफुल राम पुत्र गिरधारी राम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 75/72 की कुल 15.5650 हैक्ट भूमि में से 7/152 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 74/73 की कुल 5.8170 हैक्ट भूमि में से 400/5817 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थी अपना नाम मनफुल पुत्र गिरधारी के स्थान पर मनफुल राम पुत्र गिरधारी राम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मनफुल राम पुत्र गिरधारी दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 75/72 की कुल 15.5650 हैक्ट भूमि में से 7/152 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 74/73 की कुल 5.8170 हैक्ट भूमि में से 400/5817 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम **मनफुल पुत्र गिरधारी के स्थान पर मनफुल राम पुत्र गिरधारी राम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के प्रार्थी के नाम मनफुल पुत्र गिरधारी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के प्रार्थी के नाम मनफुल पुत्र गिरधारी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम मनफुल पुत्र गिरधारी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 11:38:04 IST
Reason: SelfAttested